संख्या :2597/V/2006-61(सा.)/06.

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 6 नवम्बर, 2006

विषयः नगर पालिका परिषद, हरिद्वार हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005-06 में सी.सी. सड़कों हेतु स्वीकृत कार्यों को टाइल सड़कों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप संशोधित आगणन पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 693/V-श.वि.-06-61(सा.)/06, दिनांक 25.3.2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा संलग्नक के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित 29 योजनाओं को सी.सी. सड़कों को टाइल सड़कों में परिवर्तित किए जाने हेतु नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा रू0 216.64 लाख के मूल आगणन के प्रस्तुत संशोधित आगणन रू. 254.88लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार रू. 241.28लाख की संस्तुति प्राप्त हुई है। उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 25.3.2006 द्वारा स्वीकृत रू. 521.59लाख के सापेक्ष मात्र रू. 152.45लाख की धनराशि आहरित करने के निर्देश जारी किए गये थे। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भी रू. 369.14लाख अनुमन्य होने हेतु शेष है।

2- अतएव उपरोक्त संशोधित आगणन की संस्तुत धनराशि रू. 241.28लाख (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की लागत की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व पूर्व में उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 25.3.2006 द्वारा स्वीकृत रू. 152.45 लाख की स्वीकृति के उपरांत स्वीकृति हेतु अवशेष रू. 369.14 लाख तथा 29 कार्यों के पुनरीक्षित आगणन के विपरीत स्वीकृति हेतु अवशेष रू. 24.64 लाख अर्थात् कुल रू. 393.78लाख (रू.24.64लाख+रू.369.14 लाख) (रू. तीन करोड़ तिरानबे लाख अठत्तर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदो के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
4. उक्त लागत में अब किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण पुनः अनुमन्य नहीं होगा और यदि होता है तो उसे नगर पालिका परिषद के द्वारा अपने संसाधनों से ही किया जायेगा।
5. टाईल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-3173/V-श0वि0-2006, दिनांक-30 अगस्त, 2006 जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत मार्म है। स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
11. निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
13. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
14. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
15. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किस्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
16. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
18. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

शासनादेशसं0–2597/V/2006–61(सा0)/06 दिनांक–3 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 06 का संलग्नक

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख रू0 में)	टी0ए.सी.से अनुमोदित (लाख रू0 में)
1.	वार्ड नं0–1 गुप्तावाला में पंत टी–स्टाल से महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट तक सड़क निर्माण	2.66	2.51
2.	वार्ड नं0–2 भीमगोड़ा रेलवे क्रासिंग के पास श्री सुभाष चन्द शर्मा के मकान से श्री गरीब दास परमानन्द आश्रम तक सड़क निर्माण	6.93	6.28
3.	वार्ड नं0–6 मिलाप मिशन से संत ईश्वर धाम तक सड़क निर्माण		
4.	वार्ड नं0–6 श्रवणनाथ नगर में सुविधा होटल से आरती होटल तक सड़क निर्माण	4.31	4.12
5.	वार्ड नं0–6 श्रवणनाथ नगर में कुमार भवन से टूरिस्ट विला तक सड़क निर्माण	5.12	4.70
6.	वार्ड नं0–6 में वासु ट्रेवल्स से रेलवे क्रासिंग तक सड़क निर्माण	3.75	3.59
7.	वार्ड नं0–6 श्री प्रवीण बिश्नाई के मकान से पूर्णिमा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट तक सड़क निर्माण	5.73 2.44	5.26 2.34
8.	वार्ड नं0–6 विजीट इन्टरनेशनल स्कूल से आयकर कार्यालय तक सड़क निर्माण		
9.	वार्ड नं0–6 इण्डस्ट्रल एरिया में श्री रमेश फ्लोर मिल (एफ–26) से श्री ओमप्रकाश (एफ–16) तक सड़क निर्माण	10.07 19.94	9.62 19.34
10.	वार्ड नं0–6 इण्डस्ट्रल एरिया में आयकर कार्यालय से दिव्य योग फार्मेसी तक सड़क निर्माण	26.30	25.08
11.	वार्ड नं0–7 डा0 के0सी0 वर्मा के मकान से श्रद्धा माता आश्रम व मोहिनी डेरी तक सड़क निर्माण	4.49	4.29
12.	वार्ड नं0–8/9 कनखल में ज्ञानलोक कालोनी के पीछे श्री राजेश द्विवेदी के मकान से डा0 अरविन्द चौहान के मकान तक सड़क निर्माण	8.23	7.57
13.	कनखल लाटोवाली से लक्सर रोड तक मुख्य नाले का निर्माण		
14.	वार्ड नं0–11 कनखल सन्देशनगर की सड़कों का सुधार कार्य	14.72	14.72
15.	वार्ड नं0–14 आर्यनगर बड़ी विशाल रोड का निर्माण	28.19	2728
16.	वार्ड नं0–14 आर्य नगर टंकी वाली रोड का निर्माण	8.93	8.25
17.	वार्ड नं0–14 गम्भीर मार्ग का निर्माण	7.76	7.16
18.	वार्ड नं0–14 पीठ बाजार से श्यामनगर नाला पुलिया तक रोड का द्वारा निर्माण	6.32	5.83
19.	वार्ड नं0–15 आदर्शनगर आहूजा पेट्रोल पम्प से श्री सुरेश गुलाटी के मकान की ओर मुख्य सड़क का निर्माण	3.23 6.62	2.99 6.14
20.	वार्ड नं0–15 रामनगर में श्री चुन्नीलाल व राठी के मकान के सामने वाली गलियों का द्वारा निर्माण	2.18	2.10
21.	वार्ड नं0–16 जगदीश नगर की मुख्य सड़क का निर्माण		
22.	वार्ड नं0–16/17 राजनगर एवं श्री रामनगर की गलियों का द्वारा निर्माण	7.10	6.53
23.	वार्ड नं0–17 अम्बेदकर नगर गली नं0–1 व 20 फिट वाली रोड का निर्माण	8.87	8.54
24.	वार्ड नं0–17 बसंत विहार की गलियों का निर्माण	14.59	13.59
25.	वार्ड नं0–17 शास्त्रीनगर गली नं0–1 एवं श्री गोस्वामी के मकान के पीछे वाली गलियों का द्वारा निर्माण	11.78 11.66	10.95 10.82
26.	वार्ड नं0–20 मौ0 मैदानियान शाह गली का निर्माण		
27.	वार्ड नं0–21 पीर वाली नाला पैराफिट दिवार का निर्माण	6.81	6.61
28.	वार्ड नं0–21 पीर वाली रोड से पाण्डे वाली रोड तक नाला पटरी रोड का निर्माण	3.59 7.94	3.59 7.35
29.	वार्ड नं0–23 झण्डा चौक से जैन मंदिर की सड़क का निर्माण		
		4.49	4.13
	कुल योग–	254.88	241.28

नोट :– शासनादेश संख्या 693 की अवशेष धनराशि रू. 369.14लाख व टाईल सड़क हेतु उक्त संशोधित संस्तुत आगणन के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि रू. 24.64 लाख अर्थात् कुल रू0 **393.78लाख अब स्वीकृत किया जा रहा है।**

(रू. तीन करोड़ तिरानबे लाख अठत्तर हजार मात्र)

19. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
20. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
21. कार्य दि0 31-3-2006 तक पूर्ण करके इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
22. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
23. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 963/XXVII(2)/2006 दिनांक:02 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या :1591(1)/V/2006 तद्दिनांक। 8/11/06

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
8. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।